

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 334/2019

1. सुखविन्द्रसिंह पुत्र अमरसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र दुलाराम } जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी साबुआना तहसील टिब्बी  
2. ओमप्रकाश पुत्र दुलाराम } जिला हनुमानगढ।  
3. जवाहरसिंह पुत्र अमरसिंह } प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री करनैलसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि क.वादी सुखविन्द्रसिंह को-चकनं 1 एसबीएन के खाता सं 147 की रामप्रताप के नाम की कुल .886 है, चकनं 1 एसबीएन के खाता सं 15/14 में औमप्रकाश के नाम की कुल 1.012 है, ख.प्रतिवादी सं 1 रामप्रताप को प्राप्त आराजी:-चकनं 3 केएचआर के प 0 न 231/197 मु 45 किलानं 14/.253, 16/1/.228, 16/2/.025 है खाला, 17/.253, 18/2/.151 है तथा चकनं 3 केएचआर में प्रतिवादी सं 3 जवाहरसिंह के नाम की किलानं 18/1/.102 है, ग. औमप्रकाश को-चकनं 3 केएचआर के प 0 न 231/197 मु 45 किलानं 12/.253, 13/.253, 8/.253, 9/.253, 2/1/.228, 2/2/.025 है खाला, 11/.151 है पूर्वी दिशा की तरफ, घ.प्रतिवादी सं 3 जवाहरसिंह को-सुखविन्द्रसिंह के नाम की चकनं 3 केएचआर के प 0 न 231/197 मु 45 किलानं 11/.102 है पश्चिमी दिशा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं 3 केएचआर के खाता सं 126/136 में से सुखविन्द्रसिंह का नाम कलमजन, चकनं 3 केएचआर के खाता सं 39/49 में से प्रतिवादी जवाहरसिंह का हिस्सा कम, चकनं 1 एसबीएन के खाता सं 147 में से रामप्रताप का नाम कलमजन व इसी चक के खाता सं 15/14 में से प्रतिवादी ओमप्रकाश का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
.....अदा करें।

बसबल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....07/10/19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा) एवं  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी